न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र स्थानान्तरण सं0 67/2025

बदरीलाल पुत्र रामकुंवार जाति खारवाल निवासी ग्राम डुगरावता तहसील लवाण जिला दौसा

....प्रार्थी

बनाम

1. शंभूदयाल पुत्र नारायण
2. महादेव पुत्र. नारायण
3. कालूराम पुत्र नारायण
4. रेवडी देवी पत्नि मेवाराम
5. लालसिंह पुत्र मेवाराम
6. बलराम पुत्र मेवाराम
   समस्त जाति खारवाल निवासी ग्राम डुगरावता तहसील लवाण जिला दौसा
7. अनिता पुत्री मेवाराम पत्नि सुरेश जाति खारवाल निवासी रामसर तहसील तूंगा जिला जयपुर
8. भूली पुत्री मेवाराम पत्नि कमल जाति खारवाल निवासी खारडा की ढाणी, शीतला माता चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर
9. आशा पुत्री मेवाराम पत्नि कालू जाति खारवाल निवासी खारडा की ढाणी, शीतला माता चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर
10. राधा पुत्री मेवाराम पत्नि रमेश जाति खारवाल निवासी हरपट्टी तहसील लवाण जिला दौसा
11. सरपंच, ग्राम पंचायत डुगरावता तहसील लवाण जिला दौसा
12. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा
13. सिंडीकेट बैंक शाखा दौसा जरिये शाखा प्रबंधक
14. सिंडीकेट बैंक शाखा लवाण जरिये शाखा प्रबंधक
15. श्री रविकान्त सिंह, उप जिला कलक्टर लवाण जिला दौसा

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अंतर्गत धारा 233 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील उनवानी बदरीलाल बनाम शंभूदयाल व अन्य मुकदमा नंबर 02/2024 जो कि उप जिला कलक्टर लवाण जिला दौसा की अदालत में विचाराधीन है।

उपस्थित : 1. श्री सेडूराम शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 10
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

दिनांक: 15.9.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:23:17 IST
Reason: SelfAttested

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार [illegible] प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर लवाण में विचाराधीन वाद उनवानी बदरीलाल बनाम शंभूदयाल आदि, प्रकरण संख्या 02/24 अ०धारा धारा [illegible] अधिनियम को किसी भी दीगर उप जिला कलक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित कर[illegible] प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उप जिला कलक्टर लवाण से टिप्पणी मंगवाई गई।

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. अधिवक्ता प्रार्थी ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खिलाफ उप जिला कलक्टर लवाण की अदालत में वाके ग्राम डुगरावता तहसील लवाण में स्थित भूमि हाल खाता सं0 144 के खसरा नंबर 51 से 53 कुल किता 3 रकबा 1.32है0 का जमाबंदी संवत 2058 से 2061 में प्रार्थी के पिताव उनके भाई नारायण व रामकुंवार पिता छाजू कौम खारवाल का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड अंकन था। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर शुरू से ही प्रार्थी के पूर्वज छाजू, उसके बाद रामकुंवार, नारायण तथा उनकी मृत्यु के बाद से लगातार प्रार्थी/अपीलार्थी बदरीलाल काबिज काश्त रह कर अर्से दराज से उपयोग उपभोग में लेते चला आ रहा है। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति है जो राजकाज में नहीं समझता है। जबकि अप्रार्थीगण/रेस्पों0 सं0 1 से 10 चालाक व चतुर लोग है जो राजकाज में समझते है। जिन्होंने दिनांक 5.6.2024 को प्रार्थी की भूमि जो कि उसके पूर्वज नारायण पुत्र छाजू व व पिता रामकुंवार पुत्र छाजू के नाम दर्ज प्रार्थना पत्र के मद सं0 1 में वर्णित भूमि का नामान्तरण राजस्व कर्मचारियों व तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत डुगरावता से साज कर मिलीभगत करते हुए हिस्सा 1/2 का नामान्तरण अप्रार्थीगण ने अपने पिता का नाम नारायण पुत्र रामदेव होने का फायदा उठाकर अपने को नारायण पुत्र छाजू का वारिस बताकर जरिये नामान्तरण सं0 216 दिनांक 5.6.2024 को खुलवा लिया आदि के बाबत अपील पेश की गई। उक्त अपील में आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.7.2025 नियत है। अप्रार्थी सं0 1 से 10 झगडालू तथा लाठी वाले एवं राजनैतिक पहुॅच वाले व्यक्ति है। अप्रार्थी सं0 1 से 6 को प्रार्थी बदरीलाल ने अप्रार्थी सं0 15 पीठासीन अधिकारी के चैंबर में मिलते हुए देखा है तथा अप्रार्थी सं0 1 से 6 ने गांव में भी ऐलानियां कह रखा है कि हमारी उप जिला कलक्टर लवाण से बात हो गई है अब हम शीघ्र ही हमारे हक में उक्त मुकदमें का फैसला करवाकर प्रार्थी के संपूर्ण हिस्से की भूमि अपने नाम करवा लेंगे तथा कब्जा करके तुम्हें मौके से बेदखल करेंगे। अप्रार्थी सं0 1 से 6 के साठ गांठ वश पीठासीन अधिकारी उनके न्यायालय में विचाराधीन शीर्षक अपील में विशेष रूचि लेकर प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थी सं0 1 से 10 के पक्ष में करने को आमादा है। पीठासीन अधिकारी उक्त अपील में जल्दी जल्दी दो पांच दिन की तारीख दे रहे है तथा आगामी तारीख पेशी की आर्डर शीट भी नहीं लिखकर मौखिक रूप से नोट करवा रहे है जो नकल आर्डर शीट से प्रमाणित है कि दिनांक 2.7.2025 से 21.7.2025 के बाद की आर्डर शीट की नकल जारी नहीं की गई है। जिसकी नकल संपूर्ण पत्रावली मय आर्डरशीट प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जो इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थी सं0 15 से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। प्रार्थी को अप्रार्थी सं0 15 से न्याय की कतई उम्मीद नहीं रही इसलिए प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर लवाण की अदालत में चल रही अपील उनवानी बदरीलाल बनाम शंभूदयाल अपील सं0 2/2024 की पत्रावली को सक्षम क्षेत्राधिकार के अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाया जाना न्याय हित मेकं आवश्यक है। प्रार्थी को उप जिला कलक्टर महोदया लवाण से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है और जहॉ न्याय की उम्मीद नहीं हो वहॉ मुकदमें का निस्तारण किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिए उक्त मुकदमें को उप जिला कलक्टर लवाण की अदालत से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना जरूरी है ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण उनवानी बदरीलाल बनाम शंभूदयाल वगैरा अपील सं0 02/2024 जो उप जिला कलक्टर लवाण की अदालत में विचाराधीन है को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित फरमाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:23:17 IST
Reason: SelfAttested

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 10 ने बहस में कथन किया कि उप जिला कलक्टर लवाण के द्वारा विचाराधीन अपील में पक्षकारान को जवाब और सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान

जिला कलेक्टर, दौसा

किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त अपील में विलंब करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान से बिन्दुवार टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप दुर्भावना व उत्तेजना के आधार पर लगाये गये है। उक्त आरोप काल्पनिक एवं मनगढंत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण श्रीमानजी के न्यायालय से पत्र प्राप्त होने से दिनांक 30.7.2025 के बाद प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आरोप पूर्णतः काल्पनिक एवं मनगढंत है। प्रार्थना पत्र प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलंब करने के लिए पेश किया गया है। यदि नामान्तरण अपील को इस न्यायालय से दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी का तर्क है कि अप्रार्थी सं0 1 से 6 को प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी के चैंबर में मिलते हुए देखा है तथा अप्रार्थी सं0 1 से 6 ने गांव में भी ऐलानियां कह रखा है कि हमारी उप जिला कलक्टर लवाण से बात हो गई है अब हम शीघ्र ही हमारे हक में उक्त मुकदमें का फैसला करवाकर प्रार्थी के संपूर्ण हिस्से की भूमि अपने नाम करवा लेंगे। अप्रार्थी सं0 1 से 6 के साठ गांठ वश पीठासीन अधिकारी उनके न्यायालय में विचाराधीन शीर्षक अपील में विशेष रूचि लेकर प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थी सं0 1 से 10 के पक्ष में करने को आमादा है। पीठासीन अधिकारी उक्त अपील में जल्दी जल्दी दो पांच दिन की तारीख दे रहे है तथा आगामी तारीख पेशी की आर्डर शीट भी नहीं लिखकर मौखिक रूप से नोट करवा रहे है ।

8. पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप दुर्भावना व उत्तेजना के आधार पर लगाये जाना व उक्त आरोप काल्पनिक एवं मनगढंत होना अंकित किया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण श्रीमानजी के न्यायालय से पत्र प्राप्त होने से दिनांक 30.7.2025 के बाद प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आरोप पूर्णतः काल्पनिक एवं मनगढंत है। प्रार्थना पत्र प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलंब करने के लिए पेश किया गया है।

9. अप्रार्थीगण द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी प्रकरण को उलझाना चाहते है एवं वाद के निस्तारण में विलंब करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। समस्त पक्षकरान को पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया जा रहा है।

10. जहॉ तक प्रश्न पीठासीन अधिकारी के चैंबर में मिलते देखना, अप्रार्थी सं0 1 से 6 के साठ गांठ वश पीठासीन अधिकारी उनके न्यायालय में विचाराधीन शीर्षक अपील में विशेष रूचि लेकर प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थी सं0 1 से 10 के पक्ष में करने को आमादा होना, पीठासीन अधिकारी उक्त अपील में जल्दी जल्दी दो पांच दिन की तारीख देने का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रार्थी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर उप जिला कलक्टर लवाण में विचाराधीन अपील प्रकरण उनवानी बदरीलाल बनाम शंभुदयाल आदि, प्रकरण संख्या 02/24 को दीगर उप जिला कलक्टर को स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली [illegible] कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:23:17 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 15 सितम्बर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:23:17 IST
Reason: SelfAttested